फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रूपनगढ़, जिला–अजमेर

पीरी वगैरह बनाम गमुलता वगैरह

किस्म मुकदमा– आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी

नम्बर 57 वर्ष–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.05.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री नारायण राव ने अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सी0पी0सी0 के तहत पेश किया । प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 21-6-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
21-6-24	अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-8-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16-8-24	अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 16-10-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
16-10-24	पत्रावली पेश हुई प्रार्थी व वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। तलबी होकर पत्रावली दिनांक 13-11-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)	
13-11-24	बार एसो. स्थगन पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20-11-24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20-11-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी अनुपस्थित। बार–बार [illegible] दिलाने के गई। बार–बार आवाज दिलाने के बावजूद प्रार्थी व वकील प्रार्थी में से कोई उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजरी/अदम पैरवी में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:17 IST
Reason: Self Attested

मु. नं. 57/24 घीसी / मधुलता

खारिज किया जाता है

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
(अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahima Kasana
Date: 2024.12.02 12:28:17 IST
Reason: SelfAttested